न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

दायर दिनांक–08.07.2021

मुकदमा नम्बर 36 / 2021

1. राजेन्द्र सिह पुत्र स्व. श्री दीपाराम
2. रामचन्द्र पुत्र स्व. श्री दीपाराम
3. श्रवण पुत्र स्व. श्री दीपाराम
4. जुगलाल पुत्र स्व. श्री दीपाराम
5. नारूराम पुत्र स्व. श्री दीपाराम

जाति समस्त जाट निवासी ग्राम जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. श्योचन्द उर्फ शिवचन्द पुत्र स्व. श्री दीपाराम
2. परमेश्वरी देवी पत्नी स्व. फूलचन्द पुत्रवधु स्व. श्री दीपाराम
3. कपिल पुत्र स्व. फूलचन्द पौत्र स्व. दीपराम
4. छोटी देवी पुत्री स्व. श्री दीपाराम
5. मुन्नी देवी पुत्री स्व. श्री दीपाराम
6. विमला देवी पुत्री स्व. श्री दीपाराम
7. शारदा देवी पुत्री स्व. श्री दीपाराम
8. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्याना देवी नवीरा स्व. श्री दीपाराम
9. शिवकुमार पुत्र स्व. श्याना देवी नवीरा स्व. श्री दीपाराम
10. विनोद देवी पुत्री स्व. श्याना देवी नवीरा स्व. श्री दीपाराम

जाति जाट निवासी निवासीगण ग्राम जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

11. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
12. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
13. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
14. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू राज.।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री दीपेन्द्र सिंह जाखड़
वकील प्रति॰ नं॰ : – श्री विकास कुमार सैनी

दावा : घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती
व स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:31 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

दिनांक– 13–01–2023

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण [illegible] है कि वादीगण [illegible] सादर पेश किया कि ग्राम जाखल की सरहद में विवादित भूमि के हाल खसरा नम्बर 270, 413, 210, 1140/755 रकबा क्रमशः 1.75, 1.40, 1.60, 1.55 हैक्टर कुल किता 04 [illegible] रकबा 6.30 हैक्टर तथा ग्राम [illegible] की सरहद में स्थित हाल खसरा नम्बर 665, 671 रकबा 2.74, 1.20 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.94 हैक्टर मे से प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 10 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में उनके हिस्से के अनुसार बराबर रूप से छोड़ दिया है इसलिए उक्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 प्रत्येक 1/7 – 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादीगण

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

संख्या 2 लगायत 3 शामलाती रूप से 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार है यदि न्यायालय हक–त्याग के प्रावधान को नही मानता है तो 1/7 – 1/7 के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 तथा 4 लगायत 7 का प्रत्येक का 1/12 – 1/12 व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का शामलाती रूप से 1/12 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 10 का शामलाती रूप से 1/12 हिस्सा घोषित किया जावे तथा ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 412 रकबा 0.8000 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार है।

वाद–पत्र की धारा 6 में दर्ज गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड के खातेदारी खाने में विवादित भूमि के 1/7 हिस्से की खातेदारी में वादी संख्या 1, 1/7 हिस्से की खातेदारी में वादी संख्या 2, 1/7 हिस्से की खातेदारी में वादी संख्या 3, 1/7 हिस्से की खातेदारी में वादी संख्या 4, 1/7 हिस्से की खातेदारी में वादीगण संख्या 5 व 1/7 हिस्से की खातेदारी में प्रतिवादी नम्बर 1 तथा 1/7 हिस्से की खातेदारी में प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 3 को खातेदारी दर्ज किया जावे व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 412 को अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 10 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। आवश्यक दुरूस्ती हेतु तहसीलदार नवलगढ के नाम आदेश जारी किया जावे।

प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि इस गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादीगण को भूमि से बेदखल नही करे और वादीगण को अपने हिस्से की भूमि काश्त करने व फसल काटने व शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं पैदा करे ना ही अपने नौकर चाकर रिश्तेदार आदि से पैदा करवाये तथा वादीगण को उनके हिस्से की भूमि शांति पूर्वक काश्त करने देवें।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 की ओर से वकील श्री विकास कुमार सैनी उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 11 लगातय 13 की दिनांक 15.03.2022 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही आने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 14 बावजूद तामिल के उपस्थित नही होने के फलस्वरूप दिनांक 15.07.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश कर वाद वादीगण के पैरा नम्बर 1 लगायत 15 को स्वीकार किया तथा इसके अतिरिक्त जवाब पेश किया कि ग्राम जाखल में भागू उर्फ मांगूराम का व्यक्ति पैदा हुआ था जिसके दो पुत्र दीपा उर्फ दीपाराम व भींवा उर्फ भींवाराम पैदा हुए जिसमें से भींवा का देहान्त मांगूराम के जीवन काल में ही उसकी शादी के कुछ दिन बाद ही निःसन्तान रहते हो गया था इसलिए भींवा की बेवा मोहनी को जाट समाज की रूढ़ी व प्रथा के अनुसार भीवा के भाई की चुड़ी पहना कर दीपाराम [illegible] विवाह कर दिया और मोहनी देवी दीपाराम के पास बतौर पत्नी [illegible] मांगूराम की मृत्यु से पूर्व ही भींवाराम की विधवा मोहनी देवी ने दीपाराम से [illegible] कर लिया था इसलिए भागू उर्फ मांगूराम की मृत्यु के बाद उसकी सम्पति का एक मात्र वारिस [illegible]म ही हुआ परन्तु पटवारी हल्का ने मोहनी बेवा भींवा के नाम से नामान्तकरण दर्ज कर दिया जो कतई गलत दर्ज किया है। दीपाराम व मोहनी देवी के नुफ्ते से प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 3 के पति/पिता फूलचन्द तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 10 की माता श्याना देवी तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 लगायत 7 का जन्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:31 IST
Reason: SelfAttested

हुआ। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 दीपाराम व मोहनी देवी के ही वारिसान है।

विभाजन के होने के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के हिस्से में शामलाती रूप से नये खसरा नम्बर 1140/755 रकबा 1.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 210 रकबा 1.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 270 रकबा 1.75 हैक्टर व खसरा नम्बर 413 रकबा 1.4000 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 6.30 हैक्टर हिस्से में आये। उक्त खसरा नम्बर के अलावा उक्त खाते मे से भूमि खसरा नम्बर 412 रकबा 0.8000 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 ने क्रय की है जिसका अकेला खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 ही है। उपरोक्त भूमि के अलावा स्वर्गीय दीपाराम की खातेदारी की भूमि ग्राम कारी में भी स्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 210 रकबा 12 बीघा 2 बिश्वा व खसरा नम्बर 213/1 रकबा 4 बिघा 15 बिश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 16 बीघा 17 बिश्वा स्थित थी जिसके पुराने खसरा नम्बर 210 मे से 1 बीघा पुख्ता भूमि खसरा नम्बर 209/2 मे व 5 बिस्वा भूमि पुराने खसरा नम्बर 208 में मिला दी गई जिसके बाद स्वर्गीय दीपाराम के खाते में 15 बीघा 12 बिश्वा भूमि शेष बची थी। द्वितीय भू-प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान पुराने खसरा नम्बर 210 रकबा 10 बिघा 15 बिश्वा के नये खसरा नम्बर 665 रकबा 2.74 हैक्टर व पुराने खसरा नम्बर 213/1 रकबा 4 बिघा 15 बिश्वा के नये खसरा नम्बर 671 रकबा 1.20 हैक्टर दर्ज कर दिये गये जो उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर है। विवादित भूमि ग्राम जाखल में खाता विभाजन के बाद नये खसरा नम्बर 270 रकबा 1.75 हैक्टर व खसरा नम्बर 413 रकबा 1.40 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.15 हैक्टरका अलग खाता बनाकर वादीगण संख्या 4 व 5 तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 7 की वल्दियत में पिता का नाम भीवाराम दर्ज कर बराबर-बराबर 1/7-1/7 हिस्से का खातेदारी काश्तकार व प्रतिवादीगण संख्या 8 से 10 को शामलाती रूप से 1/7 हिस्से का खतेदार काश्तकार दर्ज कर दिया तथा नये खसरा नम्बर 1140/755 रकबा 1.55 हैक्टर व खसरा नम्बर 1.60 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 01 से क्रय शुदा खसरा नम्बर 412 रकबा 0.8000 हैक्टर को भी शामिल कर कुल किता 3 कुल रकबा 3.95 का अलग से खाता कायम कर वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की वल्दियत में पिता का नाम दीपाराम दर्ज कर बराबर-बराबर 1/5-1/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का शामलाती रूप से 1/5 हिस्सा दर्ज कर दिया गया।

इसी प्रकार विवादित भूमि ग्राम कारी के खसरा नम्बर 665 रकबा 2.74 हैक्टर के खाते में प्रतिवादी संख्या 1 को भींवारासम का पुत्र दर्ज कर अकेले के नाम से खाता कायम कर दियां तथा खसरा नम्बर 671 रकबा 1.20 हैक्टर में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 दीपाराम के वारिस दर्ज कर 1/5-1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया है, जो कतई गलत दर्ज किया गया है वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 सभी दीपाराम व मोहनी देवी के वारिसान है तथा दीपाराम [illegible] की भूमि के बराबर के हिस्सेदार है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवादित भूमि मे ग्राम [illegible] की सरहद [illegible] खसरा नम्बर 412 रकबा 0.8000 हैक्टर प्रतिवादी [illegible] का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 01 अकेला है। शेष विवादित भूमि के वादीगण प्र[illegible] 1/12-1/12 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा 1/12 हिस्से का खतोदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 01 है, 1/12 हिस्से के खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 शामलाती रूप से है तथा 1/12-1/12 हिस्से के खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 7 प्रत्येक है तथा 1/12 हिस्से के खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 10 शामलाती रूप से है परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 10 के पास काश्त की अन्य भूमिया है इसलिए उक्त विवादित भूमि में अपना हिस्सा नही लेना चाहते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:31 IST
Reason: SelfAttested

प. सी. ई. एम. (का. दे.)

ओर अपना हिस्सा शेष खातेदारान के पक्ष मे बराबर रूप से उकने हिस्से के अनुसार छोड़ दिया है तथा वर्तमान समय में विवादित भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ही काबिज है और बराबर बराबर 1/7–1/7 हिस्से की भूमि को कास्त कर रहे है व काबिज है इसलिए उक्तानुसार हिस्सो की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड दर्ज कर दिया जाता है तो हम जवाबदेहन्दागण को कोई ऐतराज नही है।

तद्पश्चात प्ररकण में वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय हाजा में एक लिखित राजीनामा मय साथ ही साक्ष्य वादी में वादीगण के चीफ के शपथ पत्र किये गये और साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर शहातद वादी बंद की गई तथा साक्ष्य प्रतिवादीगण में प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, 7 के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये गये। अन्य कोई साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा इस प्रकार प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि ग्राम जाखल के हाल खसरा नम्बर 270, 413, 210, 1140/755 रकबा क्रमशः 1.75, 1.40, 1.60, 1.55 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 6.30 हैक्टर तथा ग्राम कारी की सरहद में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 665, 671 रकबा क्रमशः 2.74, 1.20 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.94 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में उनके हिस्से के अनुसार बराबर रूप से छोड दिया है इसलिए उक्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 प्रत्येक को 1/14–1/14 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। ग्राम जाखल की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 412 रकबा 0.8000 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार है जिसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

राजीनामा को अवलोकन किया गया तथा राजीनामा में वादीगण की पहचान वादीगण के अधिवक्ता एंव प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा वादीगण एंव प्रतिवादीगण को पढ़कर सुनाया गया तथा समझाया गया। उभय पक्षकारान् द्वारा सुन–समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा को दिनांक 06.01.2023 को तस्दीक किया गया।

राजीनामा प्रस्तुत होने पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय फरीकेन द्वारा राजीनामे में दर्ज तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया गया कि राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, 7 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर तथा शेष प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत किया गया है जो सही एवं सत्य है। मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण निर्णय/डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है।

बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का व प्रस्तुत लिखित राजीनामें का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वा[illegible] एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण द्वारा फरिकेन द्वारा लोक अदालत [illegible] प्रस्तुत किया गया। फरीकेन द्वारा प्रकरण में राजीनामा कर लिया गया है तथा [illegible]जीनामे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:31 IST
Reason: SelfAttested

विवादित भूमि ग्राम जाखल के हाल खसरा नम[illegible]70, 413, 210, 1140/755 रकबा क्रमशः 1.75, 1.40, 1.60, 1.55 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 6.30 हैक्टर तथा ग्राम कारी की सरहद में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 665, 671 रकबा क्रमशः 2.74, 1.20 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.94 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में उनके हिस्से के अनुसार बराबर रूप से छोड दिया है इसलिए उक्त भूमि के

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 प्रत्येक को 1/14–1/14 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना तथा ग्राम जाखल की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 412 रकबा 0.8000 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार है जिसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। वाद–पत्र मे प्रस्तुत राजीनामा अनुसार सहमति देने पर वाद में अन्य कोई विरचना किया जाना आवश्यक नही है। वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित है। फलस्वरूप वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न होगा।

–:: आदेश ::–

लिहाजा वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित भूमि ग्राम जाखल के हाल खसरा नम्बर 270, 413, 210, 1140/755 रकबा क्रमशः 1.75, 1.40, 1.60, 1.55 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 6.30 हैक्टर तथा ग्राम कारी की सरहद में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 665, 671 रकबा क्रमशः 2.74, 1.20 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.94 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में उनके हिस्से के अनुसार छोड़ने पर दिया है इसलिए उक्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 प्रत्येक को 1/14–1/14 हिस्से के खातेदार काश्तकार तथा ग्राम जाखल की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 412 रकबा 0.8000 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उभय पक्षकारान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे घोषित खातेदारी अनुसार कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे तथा मोके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। आदेश के तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि इसी अनुसार तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है मुताबिक घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 13–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:31 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188, राज.काश्त.अधि. व धारा 136 भू–राज. अधि.

मुकदमा सं0:– 36 / 2021 (राजेन्द्र सिंह आदि बनाम श्योचन्द आदि)

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 13.01.2023 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विवादित भूमि ग्राम जाखल के हाल खसरा नम्बर 270, 413, 210, 1140 / 755 रकबा क्रमशः 1.75, 1.40, 1.60, 1.55 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 6.30 हैक्टर तथा ग्राम कारी की सरहद में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 665, 671 रकबा क्रमशः 2.74, 1.20 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.94 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में उनके हिस्से के अनुसार छोड़ने पर दिया है इसलिए उक्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 प्रत्येक को 1/14–1/14 हिस्से के खातेदार काश्तकार तथा ग्राम जाखल की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 412 रकबा 0.8000 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उभय पक्षकारान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे घोषित खातेदारी अनुसार कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे तथा मोके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। आदेश के तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि इसी अनुसार तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है मुताबिक घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेंगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.01.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्र.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प [illegible]	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टा[illegible]	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमि[illegible]	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक	0.00
कुल	14.00		0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:31 IST
Reason: SelfAttested